मुख्य दुग्ध संयंत्र स्तर पर

- समस्त दुग्ध संयंत्र **ISO: 9001 (Quality Management System)** तथा **ISO:22000 (Food Safety Management System)** प्रमाणीकृत।
- दुग्ध संयंत्र हेतु गुणवत्ता नीति का निर्धारण।
- श्रमिकों हेतु एप्रिन, मास्क, हेण्ड ग्लाव्स इत्यादि पहनना अनिवार्य करना।
- मुख्य डेयरी संयंत्रों एवं मिनी डेयरी संयंत्रों का प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण जिसे दूध एवं दुग्ध पदार्थो के गुणवत्ता के परीक्षण में **accuracy** बढ़े।
- इंदौर की प्रयोगशाला को **NABL** से प्रमाणीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ।
- प्रयोगशाालाओं के निरीक्षण हेतु भारतीय निर्यात परिषद से पंजीयन तथा निरीक्षण।
- शीतगृहों की क्षमता का विस्तार ।
- दुग्ध उत्पाद निर्माण हेतु प्रत्येक पाली में **RMRD** पर प्राप्त होने वाले ताजे दूध का उपयोग।
- दूध भंडारण हेतु साइलो के तापमान का लगातार सही स्तर पर निर्धारण ।

मुख्य दुग्ध संयंत्र स्तर पर

- निर्माण के उपरांत विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों का भण्डारण हेतु शीतगृहों का निर्धारित तापक्रम सुनिश्चित किया जाना।
- दुग्ध पदार्थों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु उच्च कोटि के पैकिंग मटेरियल का उपयोग ।
- निर्माण के 6 घंटे के भीतर दुग्ध संयंत्र से उत्पाद रिटेलर तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करना ।
- मांग के आधार पर उत्पाद सुबह तथा शाम दोनों समय उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।
- उत्पाद परिवहन हेतु शीतलीकृत वाहनों का प्रयोग ।
- संघों के उत्पादन एवं गुण नियंत्रण शाखाओं के तकनीकी अधिकारियों के साथ कार्यशालाओं का आयोजन किया जाकर विभिन्न प्रकार के उत्पादों की शेल्फ लाईफ बढ़ाने हेतु अध्ययन प्रगति पर ।
- उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु हेल्पलाईन/फेसबुक पेज ।
- शिकायतों को उसी दिन निराकृत करने का प्रयास ।